संख्या:-171/2023/आई405599/001-330आ0-23-5002-002-42-2023-29(भवन)/2020

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 12 अक्टूबर, 2023**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा में लेखाशीर्षक 2059-80-053-06-00-29 "सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण-सामान्य एवं विशेष मरम्मत" के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, गाजियाबाद व बांदा के अनावासीय भवनों के अनुरक्षण मद के 03 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-619बीजीबी/112बीजीबी/अना0 भवनों का विशेष मरम्मत/उपयोगिता प्रमाण-पत्र/23-24, दिनांक 19.09.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के राजस्वलेखा मद के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, गाजियाबाद व बांदा के अनावासीय भवनों के अनुरक्षण मद के 03 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता **रू0 22.49 लाख(रू0 बाईस लाख उन्चास हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	मूल/पुनरीक्षित स्वीकृत धनराशि	टेण्डर के पश्चात बचत की धनराशि	आवंटन हेतु कुल धनराशि	पूर्व में आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(धनराशि लाख रू0 में)					
1	32/2023/001-40आ0-23-5-23-02(भवन)/ 2023, दिनांक 17.02.2023	सहारनपुर में सर्किट हाउस की मरम्मत का कार्य।	46.69	01.12	45.57	37.00	08.57	08.57
2	90/2022/001-194आ0-23-5-22-29(भवन)/ 2020टीसी-2, दिनांक 21.11.2022 एवं 119/2023/001-204आ0-23-5-23-27(भवन)/ 2020, दिनांक 23.06.2023	रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, गाजियाबाद के कार्यालय भवन एवं स्टोर के मरम्मत का कार्य।	23.63	0.00	23.63	21.10	02.53	02.53
3	15/2020/08आ0/23-5-20-6(भवन)/2018टीसी-1, दिनांक 02.03.2020	बांदा में सर्किट हाउस की रंगाई-पुताई, मरम्मत एवं साज-सज्जा का कार्य।	11.59	00.07	11.52	00.13	11.39	11.39
	योग :-		**81.91**	**01.19**	**80.72**	**58.23**	**22.49**	**22.49**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 22,49,000(रूपये बाईस लाख उन्चास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या:-171/2023/आई405599/001-330आ0(1)/23-5-2023, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी सहारनपुर, गाजियाबाद व बांदा।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर, गाजियाबाद व बांदा।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(रा0मा0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, सहारनपुर क्षेत्र व चित्रकूट धाम(बांदा) क्षेत्र, लो0नि0वि0।
12- अधी0 अभि0, सहारनपुर वृत्त, रा0मा0 वृत्त(बरेली), व बांदा वृत्त, लो0नि0वि0।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सहारनपुर एवं बांदा।
14- अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, गाजियाबाद।
15- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in